

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)


अधिसूचना

पटना, दिनांक—.....

श्री कामेश्वर सिंह, निरीक्षक उत्पाद, गया को गंभीर घटना के समय बुलाने पर उपस्थित नहीं होने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही आदि आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

02. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, अररिया निर्धारित किया जाता है।
03. निलंबन अवधि में श्री सिंह को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विजय रंजन)

सरकार के उप सचिव।


ज्ञापांक:-9/आरोप (राज0) (उ0)-02-38/2012.....^{265/sc} पटना, दिनांक:-^{14/12/2012}

प्रतिलिपि:-01. संबंधित सभी समाहर्ता/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02. सहायक आयुक्त उत्पाद, गया/अधीक्षक उत्पाद, अररिया/श्री कामेश्वर सिंह, निरीक्षक उत्पाद, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक आयुक्त उत्पाद, गया को निदेश दिया जाता है कि श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप-पत्र गठित कर साक्ष्य सहित 15 दिनों के अंदर विभाग को प्रेषित करें।

03. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद के निजी सहायक/विभागीय सभी पदाधिकारी (उत्पाद)/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा - 9 एवं 3)/प्रभारी सहायक, राजपत्रित् स्थापना/प्रभारी सहायक, राजपत्रित् आरोप को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विजय रंजन)

सरकार के उप सचिव।